

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए प्रदर्श/सामग्री
भेजने का अग्रसारण पत्र।
[नियम 258 (क) 1258 (2)]

सेवा में,

ज्ञापक-..... तिथि-.....

निदेशक,
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
होटवार, झारखण्ड, राँची।

प्रसंग:थाना, काण्ड संख्या-.....दिनांक-.....धारा-.....

विषय: काण्ड में जप्त प्रदर्श के जाँच हेतु अग्रसारण के संबंध में।

01. काण्ड का संक्षिप्त इतिहास :- (इसके अन्तर्गत आरोप का स्वरूप, संक्षिप्त इतिहास तथा सुसंगत ब्योरा होंगे)।

02. परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले प्रदर्शों का विवरण :-

क्र० सं०	प्रदर्शों का विवरण	कैसे, कब एवं किसके द्वारा जप्त किया गया।	प्रदर्श प्राप्ति का स्थान	अभ्युक्ति
I	II	III	IV	V
1.				
2.				
3.				

03. परीक्षण की प्रकृति (जाँच के बिन्दु) :-

क.
ख.
ग.

सील (लाह) का नमूना
(सेलोटैप से सुरक्षित)

अग्रसारण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर
(न्यायालय)
J O

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राँची, झारखण्ड,थाना, काण्ड संख्याधारा से संबंधित प्रदर्शों के परीक्षण के लिए अधिकृत है। यह भी अधिकृत किया जाता है कि परीक्षण के लिए प्रदर्शों के किसी हिस्से को या पूर्ण प्रदर्श को काट-छाँट या विनष्ट कर सकते हैं।

सील (लाह) का नमूना
(सेलोटैप से सुरक्षित)

अग्रसारण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर
(न्यायालय)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण के लिए प्रदर्श/सामग्री
भेजने का अग्रसारण पत्र।
[नियम 258 (क) 1258 (2)]

सेवा में,

ज्ञापांक-..... तिथि-.....

निदेशक,

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
होटवार, झारखण्ड, राँची।

प्रसंग: थाना, काण्ड संख्या- दिनांक- धारा-

विषय: काण्ड में जप्त प्रदर्श के जाँच हेतु अग्रसारण के संबंध में।

01. काण्ड का संक्षिप्त इतिहास :- (इसके अन्तर्गत आरोप का स्वरूप, संक्षिप्त इतिहास तथा सुसंगत
ब्योरा होंगे)।

02. परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले प्रदर्शों का विवरण :-

22. परिक्षण हेतु भेजे जाने वाले प्रदर्शों का विवरण					
क्र० सं०	प्रदर्शों का विवरण	कैसे, कब एवं किसके द्वारा जप्त किया गया।	प्रदर्श प्राप्ति का स्थान	अभ्युक्ति	
	I	II	III	IV	V
1.					
2.					
3.					

03. परीक्षण की प्रकृति (जाँच के बिन्दु) :-

क.

ख.

ग.

सील (लाह) का नमूना
(सेलोटैप से सुरक्षित)

अग्रसारण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर
(न्यायालय)
J O

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राँची, झारखण्ड, थाना, काण्ड संख्या
से संबंधित प्रदर्शों के परीक्षण के लिए अधिकृत है। यह भी अधिकृत किया जाता है कि
परीक्षण के लिए प्रदर्शों के किसी हिस्से को या पूर्ण प्रदर्श को काट-छोड़ या विनष्ट कर सकते हैं।

अग्रसारण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर
(न्यायालय)

सील (लाह) का नमूना
(सेलोटैप से सुरक्षित)